न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी ::18/2018 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2018/00050

| प्रार्थी :– | बनाम | अप्रार्थीगण :– |
|---|---|---|
| मंगलाराम पुत्र लालाराम जाति पटेल निवासी : ग्राम माण्डावास तहसील रोहट, जिला पाली। | | 1. हरीसिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत निवासी : ग्राम माण्डावास तहसील रोहट, जिला : पाली।<br>2. ग्राम पंचायत मांडावास तहसील रोहट, जिला पाली |

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भागीरथ पटेल

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 29-11-21

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत माण्डावास की मिसल संख्या 27/2011–12 आदेश दिनांक 25.2.2012 में संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.2.2012 की पालना में पारित पट्टा संख्या 38 पट्टा बुक संख्या 22 के निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तथा पंचायत से रेकर्ड तलब किया गया एवं बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी के पिता लालाराम पटेल निवासी माण्डावास का एक निलामी के भूखण्ड खरीदा था जिसका ग्राम पंचायत माण्डावास द्वारा पट्टा संख्या 84 प्रस्ताव संख्या 66/78–79 दिनांक 22.4.79 को जारी किया हुआ हैं। भूखण्ड का नाप 9750 वर्गफुट है। पूर्व में मोटाराम पश्चिम में 20 फुट मार्ग व उतर में 20 फुट मार्ग दक्षिण में वागाराम पुत्र लालाराम है। ग्राम पंचायत माण्डावास उक्त भूखण्ड के आधे कर दो पट्टे जब्बरसिंह व हरिसिंह के पक्ष में पुनः जारी कर दिए जो शुन्य है। हरिसिंह को पट्टा संख्या 40 बुक संख्या 22 मिसल संख्या 29 दिनांक 25.5.2012 को जारी कर दिया था जो प्रारम्भ से शुन्य है। प्रार्थी के पिता द्वारा भूखण्ड निलामी में सन् 1979 से ही क्रय कर लिया पर पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा अपने ही रेकर्ड का अवलोकन नहीं किया न मौके की जांच की गई। मात्र हरिसिंह के पक्ष मे पट्टा जारी कर दिया जो निरस्त योग्य है। तीन वार्ड पंचों की कमेटी गठित नहीं की मौका निरीक्षण का आदेश दिनांक 20.12.2021 को पारित किया गया परन्तु प्रतिवेदन पूर्व में ही सचिव द्वारा मिलावट कर दिनांक 15.12.2011 को ही तैयार कर मिसल संलग्न किया किया गया है। इससे भी साफ जाहिर होता है कि हरिसिंह को फायदा पहुँचाने की नियत से ही विधि विपरित कार्यवाही का पट्टा जारी किया गया है जो काबिल निरस्त है। हरिसिंह को भूमी विक्रय बाजार मूल्य से भी कम पर किया गया। तथा आक्षेप आमंत्रित करने का नोटिस सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है मात्र पृष्ठ भाग पर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर शामिल मिसल कर दिया गया है जिसमें से एक उस समय नाबालिग था। उन पर तारिख अंकित नहीं है। एक गवाह द्वारा कब्जा होना व एक गवाह द्वारा पिढ़ियो से कब्जा होना बताया है इसमें भी विरोधाभास है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वकील प्रार्थी ने जैर निगरानी पट्टा निरस्त करवाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थीगण नोटिस तामील होने के बाद भी अनुपस्थित रहे अतः एक तरफा बहस सुनी गई एवं गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:38:06 IST
Reason: SelfAttested

बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवं पंचायत रेकर्ड का अवलोकन किया गया इस निगरानी में विचारणीय बिन्दु है :-

1. क्या पूर्व में जारी पट्टा से भूखण्ड पर नया पट्टा जारी किया गया है ?
2. क्या पट्टा जारी करते समय नियमों की पालना की गई ?

पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि लालाराम को 1083.5 वर्गगज अर्थात 9750 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया है तथा हरिसिंह को 4750 वर्गफुट का पट्टा जारी किया गया है तथा दोनों पट्टों के पड़ोस भी दोनों पट्टो से मेल नहीं

क्रमश..................2

जिला कलेक्टर, पाली

खाते है। पट्टा संख्या 40 व पट्टा संख्या 38 को मिला देने के उपरांत भी पड़ोस पूर्व में जारी पट्टा संख्या 84 दिनांक 22.4.79 से मेल नहीं खाते है। दोनों आराजी पट्टा संख्या 84 दिनांक 22.4.79 एवं पट्टा संख्या 40 दिनांक 25.2.2012 के उत्तर व पश्चिम में मार्ग है। तथा पट्टे की नाप (Size) पूर्व में 22.4.79 को जारी पट्टे से आधा है परन्तु उक्त जमीन वही है इस बाबत कोई संतुष्टिप्रद साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार यह तथ्य निगरानीकर्ता साबित करने में असफल रहा है।

पंचायत द्वारा मिसल कायम की गइ्र जो मिसल उपलब्ध है जिसके अनुसार तीन वार्ड पंचो की कमेटी का गठन 20.12.2011 को किया गया जबकि तीन वार्ड पंचो द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण कमेटी पर उनके हस्ताक्षर 15.12.2011 के है जो किसी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है एवं पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि जैर निगरानी भूखण्ड का विक्रय विलेख अप्रार्थी के हक में जारी करने बाबत प्रस्ताव लिया गया था। बयानों पर दिनांक अंकित नहीं है आक्षेप नोटिस पर चस्पा करने वालें मौतबिरानों के हस्ताक्षर मात्र है कहां चस्पा किया किस रोज चस्पा किया गया अंकन नहीं किया हुआ है। अतः विधिक त्रुटि होना पाया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है एवं जैर निगरानी पट्टा संख्या 38 पट्टा बुक संख्या 22 जो ग्राम पंचायत माण्डावास द्वारा मिसल संख्या 27/2011-12 आदेश दिनांक 25.2.2012 एवं तथाकथित संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.02.2012 की पालना में जारी किया गया उन सभी को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29-11-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
**जिला कलेक्टर, पाली**

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:38:06 IST
Reason: SelfAttested